FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

चावली देवी **बनाम्** मदनलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या – P/139/2025 **जीसीएमएस नं.** 2025/296

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	वादीनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण संख्या 01 से 15 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री भीखाराम विश्नोई व शिवलाल उपस्थित। राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस/सम्मन जरिये सामान्य डाक से जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 10.11.2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण के सम्मन सामान्य प्रोसेस से जारी किये गये। पत्रावली वास्ते तामीली इंतजार [प्रतिवादीगण] हेतु आइंदा दिनांक 17/12/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र "बाबत वाद विड्रॉ किये जाने"	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश किया गया। श्री ... हो। वकील वादी द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया कि "1. वादीनी ने उपरोक्त वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जो वाद वर्तमान में तामिली स्तर के प्रक्रम में लंबित चल रहा है। 2. यह है कि वादिनी अपने उक्त वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाना चाहती है तथा जरिये विड्रो खारिज करवाना चाहती है।" वकील वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी का वाद जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	(हस्ताक्षर)
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (...) जोधपुर (मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... जोधपुर, सत्यमेव जयते)	